भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 377

उत्तर देने की तारीख-03/12/2025

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करना

377 **श्री संदोष कुमार पी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शौचालय, पेयजल और बिजली सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव वाले सरकारी स्कूलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) देशभर के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) वर्ष 2024-2025 में विद्यार्थियों की कमी के कारण बंद हुए विद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए लड़कों के शौचालय, लड़कियों के शौचालय, पेयजल और बिजली की सुविधा वाले सरकारी स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques. पर उपलब्ध है।
(ख) और (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूलों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
